

विचार बिन्दु

अतिथि जिसका अन्न खाता है, उसके पाप धुल जाते हैं। -अथर्ववेद

क्या दिनांक 27.12.2022 का इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के निर्णय से संबंधित नगर पालिकायें संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत गठित स्वायत्त शासन की संस्थायें नहीं हैं?

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने जिसमें जस्टिस डी.के. उपाध्याय व जस्टिस सौरव लवानिया थे, उस खण्डपीठ ने दिनांक 27 दिसम्बर 2022 के निर्णय से 93 पीआईएल व रिट केसेज को निर्णित किया। इन पीआईएल व रिट केसेज में समान तथ्य व कानूनी बिन्दु हैं। पीआईएल नं. 870/2022 वैभव पाण्डे बनाम स्टेट व अन्य के केस के साथ श्रेष्ठ 92 पिटीशनस को जोड़ा गया है। पिटीशन में प्रार्थीगण का कथन है राज्य सरकार की विज्ञापित दिनांक 05.12.2022 संविधान के वाच्यकारी प्रावधान को अनुच्छेद 243(2) में है तथा बाध्यकारी सिद्धान्त जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों के. कृष्णामूर्ति व अन्य बनाम यूनिवर्स ऑफ इण्डिया व अन्य (यह निर्णय 2010 (7) एससीसी 202 में रिपोर्ट हुआ है) तथा एक अन्य केस विकास किशनराव गवाली बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र व अन्य के टाइटल से 2021 (6) एससीसी 73 से रिपोर्ट हुआ है।

सभी पिटीशनस में डा. एल.पी. मिश्रा व श्री आनन्द पाठक एडवोकेटस से मूल रूप से बहस की है। पिटीशन दो प्रकार की है। इन दोनों में नोटिफिकेशन दिनांक 05.12.2022 को चुनौती दी गई है। विज्ञापित दिनांक 05.12.2022 को चुनौती देने के साथ ही राज्य के दिनांक 12.12.2022 के आर्डर की भी चुनौती दी गई है। जिसके द्वारा यह अपेक्षित किया है कि लोकल बोर्डिंग की अवधि समाप्त होने पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया है कि वे लोकल बोर्डिंग के एकाउण्ट को, एक्जिक्यूटिव ऑफिसर व सीनियर मोस्ट ऑफिसर के संयुक्त हस्ताक्षर से एकाउण्ट ऑपरेट करे।

यहां यह लिखना समीचीन है कि संसद (पार्लियामेंट) ने कान्ट्रैट्यूशन (सेवेंटी फॉर्थ) संशोधन अधिनियम 1992 से संविधान में नया चैप्टर-IXA दिनांक 01.06.1993 से जोड़ा है। यह इसलिए जोड़ा गया था कि नगर पालिकायें धन मुक्त होकर, संविधान के अनुच्छेद 243क्यू के अधीन गठित स्वायत्त शासन की संस्था है। यही स्थिति पंचायत की भी है। अनुच्छेद 243पी के अनुसार नगर पालिका से अनुच्छेद 243क्यू के अधीन गठित स्वायत्त शासन की संस्था से अभिप्रेत है।

चूंकि संविधान के पार्ट IXA के प्रावधानों के अनुसार स्टेट अधिनियम जिनका संबंध म्यूनिसिपैलिटीज से था उन्हें संविधान के प्रावधानों के अनुसार ढालना था, अतः उत्तरप्रदेश के यूपी एक्ट नं. 12 ऑफ 1994 व उ.प्र. म्यूनिसिपैलिटी कोर्पोरेशन एक्ट 1959 में धारा संशोधन किये गये। अनुच्छेद 243(2) को प्रभावशाली बनाने के हेतु सेक्शन 9ए व सेक्शन 7 म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1916 व म्यूनिसिपैलिटी कोर्पोरेशन एक्ट 1959 में शामिल किये गये इनके द्वारा सीटों का आरक्षण किया गया तथा चेरमन के पद बनाये गये।

कृष्णामूर्ति के केस में सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने यह स्पष्ट कर दिया कि बेकवर्ड क्लासेज की पहिचान अनुच्छेद 243 डी (6) व अनुच्छेद 243 टी 6 में Socially and Educationally Backward Classes (SEBC) की पहिचान अनुच्छेद 15(4) तथा Backward Classes की पहिचान अनुच्छेद 16(4) के संदर्भ में भिन्न है।

ट्रिपल टेस्ट/कंडीशन की पालना करना राज्य के लिये बाध्यकारी है जहां स्टेट को सीटों का आरक्षण लोकल बोर्डिंग में बेकवर्ड क्लासेज के नागरिकों के लिये करना आवश्यक है। ये ट्रिपल टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने विकास किशनराव गवाली में इस प्रकार अभिव्यक्त किये हैं :-

- अ. एक समर्पित कमीशन का गठन करना
- ब. कमीशन की सिफारिश के अनुसार आरक्षण का प्रोपोरशन प्रत्येक निकास में किया जावे। स. किसी भी स्थिति में यह आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। जिसका अभिप्राय है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ों का आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- पिटीशनस में दिनांक 05.12.2022 की विज्ञापित को दो आधारों पर चुनौती दी गई है -
 1. संविधान के अनुच्छेद 243 टी में जो निर्देश दिया है उसकी पालना करना।
 2. के. कृष्णामूर्ति ने जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं उनकी पालना करना।

इन मुकदमों में स्टेट ऑफ यूपी की ओर से सुयोग्य एडिशनल एडवोकेट जनरल श्री वी.के. शाही ने मुख्यतः बहस की है।

स्टेट इलेक्शन कमीशन की ओर से स्टेट द्वारा की गई बहस को ही अपनाया गया। बहस का आधार था कि जब तक सेक्शन 9ए यूपी म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट व सेक्शन 7, यूपी म्यूनिसिपैलिटी कोर्पोरेशन अल्ट्रा वायरस घोषित करार नहीं दी जावे, पिटीशनस चलने योग्य ही नहीं हैं। पक्षकारों की बहस के बाद माननीय खण्डपीठ ने कहा कि निर्नालिखित प्लॉटिंग के आधार पर बनाये जाकर निर्णय किया जाना चाहिये :-

1. क्या स्टेट की प्लॉटिंग के आधार पर यह माना जा सकता है कि के. कृष्णामूर्ति व विकास किशनराव गवाली के मामलों में जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं, उनकी पालना की गई है?
2. क्या पिटीशनस नगर 243 टी (6) के अनुसार सहायता प्राप्त करने के अधिकारी हैं?
3. क्या राज्य सरकार का आदेश दिनांक 05.12.2022 विधि सम्मत है?

बहस सुनकर खण्डपीठ ने यह निर्णय दिया कि के. कृष्णामूर्ति व विकास किशनराव गवाली ने ट्रिपल टेस्ट के जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं उनकी पालना नहीं की गई। इसके फलस्वरूप राज्य ने सीटों के तथा चेरमन पर्सनस के पदों के आरक्षण और विज्ञापित दिनांक 05.12.2022 अवैध है व निरस्त नहीं है।

संक्षेप में सभी रिट पिटीशनस माननीय खण्डपीठ ने स्वीकार कर निर्नालिखित निर्देश दिये हैं:-

1. विज्ञापित दिनांक 05.12.2022 जिसे यूपी राज्य के डिपार्टमेंट ऑफ अरबन डेवेलपमेन्ट ने धारा 9ए(5)(3) के तहत जारी की थी उसे अवैध घोषित किया गया है।
2. यूपी राज्य का आदेश दिनांक 12.12.2022 जिसके द्वारा यह आदेश दिया है कि म्यूनिसिपैलिटीज का बैंक अकाउण्ट एक्सीक्यूटिव ऑफिसर व सीनियर मोस्ट ऑफिसर उत्तर प्रदेश पालिका सेट्टलाइज्ड सर्विस (अकाउण्ट केन्टर) को अवैध होने से निरस्त किया जाता है।

3. यह निर्देश दिया जाता है कि जब तक ट्रिपल टेस्ट जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने के. कृष्णामूर्ति व विकास किशनराव गवाली ने बाध्यकारी माना है उस प्रक्रिया की पूरी पालना नहीं की जाती, पिछड़े नागरिकों को आरक्षण नहीं दिया जावेगा। यूपी राज्य व स्टेट इलेक्शन कमीशन तत्संबंधित विज्ञापित अति शीघ्र जारी करेंगे। चुनाव बिना आरक्षण होगा।

इस प्रकार इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आयोग बनाये बिना शहरी निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत देने से यूपी राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाई थी। राज्य सरकार ने आयोग (कमीशन) बनाने की घोषणा कर दी है आयोग के चेरमन पूर्व जस्टिस रामावतार सिंह है आयोग का गठन भी हो गया है और आयोग को 6 माह में चुनाव कराने की हिदायत दी है।

योगी सरकार ने न्यायालय के दिनांक 27.12.2022 के आदेश को कानूनी रूप से दोषपूर्ण मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राज्य सरकार का मानना है कि उच्च न्यायालय को निकायों के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये सीटों में आरक्षण के प्रावधान जो दिसम्बर 5, 2022 की विज्ञापित है वह अधिसूचना के प्रारूप को निरस्त नहीं कर सकता। योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में यह केस लेकर गई है, कमीशन नियुक्त करने के बाद निकाय चुनाव आयोग की रिपोर्ट आने तक चुनाव नहीं कराये जा सकते हैं।

केन्द्रीय सरकार ने यह पाया कि राज्य की लोकल बोर्डिंग काफी कमजोर और लगभग प्रभावहीन हो चुकी है। अतः इन्हें शक्तिशाली बनाने के लिये संसद ने संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम 1992 पारित किया। यह 1.6.1993 से अन्तः स्थापित किया गया। इस प्रकार नगर पालिकाओं के हेतु भाग 9क, संविधान में अनुच्छेद 243त से 243 य छ के रूप में संविधान के भाग बनने से संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम 1992 के Statement of Objects and Reasons में उल्लिखित है। इससे पूर्व प्रत्येक राज्य में नगर पालिकायें स्थापित थीं व सरकार के नियंत्रण में चलती थीं। वे नगर पालिकायें बाँड़ी कारपोरेशन के रूप में थीं। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम में नगरपालिका (शहरी निकाय) को यह कहकर परिभाषित किया गया है, "नगर पालिका के अनुच्छेद 243 क्यू के अधीन गठित स्वायत्त शासन की संस्था अभिप्रेत है" और अनुच्छेद 243 क्यू यह घोषणा करता है कि नगरपालिकाओं का गठन, प्रत्येक राज्य में इस भाग के (भाग 9क) उपबन्धों के अनुसार गठन किया जावेगा।

प्रत्येक कथन के अनुसार नगरपालिकाओं का गठन किसी राज्य के कानून के अनुसार नहीं होता अपितु इनका उद्भव व गठन संविधान के भाग IXA। अनुबन्धों के अनुसार है। अनुच्छेद 243 डब्ल्यू स्पष्ट रूप से कहता है कि इस संविधान के अधीन रहते हुये किसी राज्य का विधान मण्डल विधि द्वारा नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के हेतु आवश्यक हों। समितियों (अनुच्छेद 243 एस के तहत गठित) को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें अपने को प्रदत्त उत्तरदायित्वों को, जिनके अन्तर्गत वे उत्तरदायित्व भी है जो 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं, कार्यान्वित करने में समर्थ बनाने के लिये आवश्यक हों। अनुच्छेद 243 डब्ल्यू कर शुल्क, पथ कर और फीस उद्घुहित संग्रहीत और विनियोजित करने के बाबत है।

जहाँ तक यूपी राज्य का संबंध है वहाँ पूर्व कानून में बहुत संशोधन हुये हैं, फिर भी वे संविधान के भाग 9क के प्रावधानों से बहुत दूर हैं।

हम यदि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 को या इससे पूर्व में नगरपालिका अधिनियमों पर विचार करें तो स्पष्ट होगा कि संविधान के भाग IXA के अनुसार नगरपालिका का उद्भव संविधान से है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में म्यूनिसिपैलिटी एक्ट को यह कहकर परिभाषित किया है कि वह क्षेत्र जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई किया गया है जबकि संविधान के भाग IXA में नगरपालिका क्षेत्र राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है। नगरपालिका का गठन अनुच्छेद 243 क्यू के अनुसार होना चाहिये न कि राज्य की विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के तहत। अधिनियम 2009 की धारा 5 के अनुसार नगरपालिका एक बाँड़ी कोर्पोरेट है जबकि संविधान के भाग IXA के अनुसार वह अनुच्छेद 243क्यू के अधीन गठित स्वायत्त शासन की संस्था है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 व जेडीए अधिनियम, संविधान के भाग IXA के विरुद्ध होने से अवैध (Ultra Vires) है, म्यूनिसिपैलिटी जयपुर का गठन अधिकार राज्य है और उसे कोई कर या फीस बसूल करने आदि का अधिकार नहीं है। ये दोनों स्वायत्त शासन की संस्थाएँ नहीं हैं।

योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उक्त निर्णय को चुनौती दी है। इससे पूर्व कमीशन की नियुक्ति भी कर दी कमीशन को रिपोर्ट देनी है। अतः इन परिस्थितियों का क्या असर होगा? क्या Waiver अथवा Estoppel का सिद्धान्त लागू होगा। इस विवाद से और संविधान के भाग IXA के संदर्भ में कई संवैधानिक प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष बहस में उठाये जा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों पर दिनांक 4.1.2023 के आदेश से इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है और इस प्रकार यू.पी. राज्य को निकाय चुनाव तीन माह देर से कराने की अनुमति दी है।

-अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

बजट: वादों को पूरा करने का एक साधन

वाद, भारतीय राजनीति की एक सर्वोत्कृष्ट विशेषता रहे हैं। घोषणापत्र, सरकारी कार्यक्रम और यहां तक कि बजट की कवायद भी चुनावी राजनीति या गठबंधन की मजबूरियों का शिकार रही हैं, जिसके लिए ऐसे वादों की जरूरत होती है, जिन्हें तोड़ा जाना होता है।

वर्ष 2018 के उत्तरार्द्ध में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अपने 2014 के घोषणापत्र में किए गए वादों की समीक्षा करने के लिए कई कवायदें की गई थीं। वादों को पूरा करने के मामले में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। पूर्ण और सापेक्ष दोनों ही सन्दर्भों में। समय आ गया है कि बजट घोषणाओं पर करीब नजर डाली जाए और यह देखा जाए कि क्या उसमें, खासकर रेल बजट से संबंधित, किए गए वादे पूरे किए गए हैं या फिर वे पिछली बजट घोषणाओं की तरह ही अचूक रह गए हैं।

हमने बजट 2022-23 में की गई 34 प्रमुख घोषणाओं पर बारीकी से गौर किया है और उनके कार्यान्वयन का आंकलन किया है। इन घोषणाओं के कार्यान्वयन के मामले में बेहतर प्रदर्शन भारत सरकार की बेहतर प्रशासनिक दक्षता का संकेत हो सकती है। आश्चर्यजनक रूप से, दो बातों को दर्शाते हुए इन प्रमुख घोषणाओं में से प्रत्येक में काफी प्रगति हुई है।

पिछले बजट में पीएम गति शक्ति की घोषणा से शुरुआत करते हैं। इसका उद्देश्य एक ऐसे मंच का निर्माण करना था। यह मंच 16 मंत्रालयों को एकजुट करता है और देश भर में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के तेजी से विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन को संभव बनाता है। पीएम गति शक्ति नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में दी गई 4827 परियोजनाओं में से 766 की रूपरेखा नेशनल मास्टर प्लान के मंच पर तैयार कर दी गई है।

इसके अलावा, वित्त मंत्र ने राष्ट्रीय राजमार्गों में 25,000 किलोमीटर का विस्तार करने के निर्णय की घोषणा की थी। वित्त मंत्रालय ने पहले ही राज्य की सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर का आंकलन किया है। इन घोषणाओं के कार्यान्वयन के मामले में बेहतर प्रदर्शन भारत सरकार की बेहतर प्रशासनिक दक्षता का संकेत हो सकती है। आश्चर्यजनक रूप से, दो बातों को दर्शाते हुए इन प्रमुख घोषणाओं में से प्रत्येक में काफी प्रगति हुई है।

आगे चलकर इस मंच को इसी के अनुरूप विकसित किया गया है और इसने देश के लाजिस्टिक क्षेत्र को एक

केन्द्र सरकार की 34 प्रमुख घोषणाओं और उनके क्रियान्वयन का आंकलन

राजमार्गों को बेहतर बनाने की प्रक्रिया का समर्थन करने हेतु मौजूदा परिसंपत्तियों के मुद्रिकरण के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपये जुटाने की घोषणा यूनिफाइड लाजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिफ) से संबंधित है। इसकी घोषणा विभिन्न तरीकों से माल की कुशल आवाजाही, लाजिस्टिक संबंधी लागत एवं लगने वाले समय को कम करने, समय-समय पर इन्वेंट्री प्रबंधन में सहायता करने और थकाऊ दस्तावेजीकरण को खत्म करने के उद्देश्य से की गई थी।

आगे चलकर इस मंच को इसी के अनुरूप विकसित किया गया है और इसने देश के लाजिस्टिक क्षेत्र को एक

नए तरीके से बढ़ावा देने के प्रयास में विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों की 29 डिजिटल प्रणालियों को एकीकृत किया है। कृषि क्षेत्र में किसान ड्रोन के उपयोग के संदर्भ में, वित्त मंत्रालय राज्य सरकारों और संबन्धित संगठनों को इसे खरीदने के लिए धन जारी कर रहा है। पीएम आवास योजना के तहत सभी के लिए आवास को लेकर एक बड़ी घोषणा की गई। वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष में इस कार्यक्रम के तहत 80 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। कुल 120.83 लाख स्वीकृत आवासों में से 104.12 लाख आवासों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है जबकि 30 सितंबर तक 63.27 लाख आवासों की वितरित कर दिया गया है या फिर उनका निर्माण पूरा कर लिया गया है।

सभी 34 प्रमुख घोषणाओं के कार्यान्वयन के विस्तार से इनमें से प्रत्येक में काफी प्रगति का पता चलता है और इससे वादा किए गए कार्यों को पूरा करने की दिशा में बेहतर दक्षता और प्रतिबद्धता का संकेत मिलता है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को परिभाषित करने और वित्तीय वर्ष के दौरान उन लक्ष्यों की प्रगति पर

नजर रखने के महत्व से अवगत होने के विस्तार से यह संकेत मिलता है कि वित्त मंत्रालय द्वारा भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया है। यह अतीत की तुलना में, खासकर किसी ठोस उपाय के बिना की जाने वाली लोकलुभावन घोषणाओं से पैदा होने वाली निराशा को देखते हुए, एक स्वागत योग्य बदलाव है।

कार्यान्वयन के इरादे से लैस विवेकपूर्ण नीतियां राजकोष की पवित्रता और सरकार एवं नागरिकों के बीच विश्वास बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। बजट 2022-23 ने बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन के पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। यह देखा दिलचस्प होगा कि यह सरकार आने वाले वर्षों में अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ पाती है या नहीं।

करण भसीन,
अंपर्डिंडिया में राजनीतिक
अर्थशास्त्री

सर्दियों में भी पेयजल संकट

नागरिकों का प्रतिनिधिमंडल सीएम व मंत्री से मिला

भुसावर, (निर्स)। कल्बा भुसावर के कटरा मोहल्ला, दवाजा मोहल्ला, चंदन कॉलोनी, बिजली घर मोहल्ला, बस स्टैंड व बरपाड़ा मोहल्ला सहित विभिन्न कॉलोनीयों में शीतकाल में भी पीने के पानी का संकट व्याप्त है।

क्षेत्र के नागरिकों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस नेता सतीश पांडे के नेतृत्व में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजन लाल जाटव एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल से मिला

■ कस्बे की आधा दर्जन से अधिक कॉलोनीयों में व्याप्त है पेयजल संकट

और ज्ञापन देकर ट्यूबवैल स्वीकृत करवा कर पेयजल संकट निवारण करवाने की मांग की।

पांडे ने पत्र में कहा कि कभी भुसावर मंत्री भजन लाल जाटव एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल से मिला

आज पानी की केवल एक टाइम सप्लाई है। पांडे ने पत्र में कहा कि सुचारू पेयजल वितरण व्यवस्था हेतु रमेश स्वामी स्मारक के सामने व पारवाले हनुमान जी मंदिर के पास दो ट्यूबवैल स्वीकृत करवा कर पेयजल मुहैया करवाया जाना नितांत आवश्यक है। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व सरपंच सतीश पांडे के अलावा शहर कांग्रेस अध्यक्ष चंद्र प्रकाश अवस्थी, शारदा-सतीश शर्मा, लक्ष्मी कंठ पांडे, वंदना नितिन पांडे सहित अनेक कांग्रेस जन शामिल थे।

जैन धर्म की आस्था पर चोट क्यों कर रही है सरकार?

जैन समुदाय से जुड़े लोग इन दिनों देश में जगह-जगह आंदोलन कर रहे हैं। झाड़खंड में श्रीसम्मदे शिखरजी को लेकर सरकारों के फैसले से तो यहां मोक्ष प्राप्त किया है। जैन ग्रंथों के अनुसार सम्मदे शिखर और अयोध्या, इन दोनों का अस्तित्व सृष्टि के समानांतर है। विवाद यह है कि जैन समुदाय के इस पवित्र धार्मिक स्थल को झाड़खंड ने सरकार फरवरी 2019 में पर्यटन स्थल घोषित कर दिया। इसके साथ ही देवघर में बैजनाथ धाम और दुमका को बासुकीनाथ धाम को भी इस सूची में शामिल किया गया। उसी साल आरस्त में, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पारसनाथ पहाड़ी को पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया और कहा कि इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की जबरदस्त क्षमता है।

सरकार के इसी फैसले का विरोध हो रहा है। जैन समुदाय से जुड़े लोगों का कहना है कि ये आस्था का केंद्र है, कोई पर्यटन स्थल नहीं। इसे पर्यटन स्थल घोषित करने पर लोग यहां मांस-मदिरा का सेवन करेंगे। इसके चलते इस पवित्र धार्मिक स्थल की पवित्रता खंडित होगी, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा लोग शत्रुंजय पर्वत पर भगवान आदिनाथ की चरण पादुकाओं को खंडित करने को लेकर भी जबरदस्त गुस्से में हैं।

इसे लेकर पिछले दिनों जैन समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे बड़े नगरों में महारैली का भी आयोजन किया गया। झाड़खंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सम्मदे शिखरजी को लेकर नोटिफिकेशन विगत भाजपा सरकार के वक्त जारी हुआ था और हम इस मामले को अभी देखा है नहीं। सोरेन की पार्टी झामुमो ने कहा कि केंद्र सरकार ने सम्मदे शिखरजी को पर्यटन स्थल घोषित किया है, भाजपा अब लोगों को

धर्मावलंबी आते हैं। जैन धर्मशास्त्रों के अनुसार जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों और अनेक संतों व मुनियों ने यहां मोक्ष प्राप्त किया है। जैन ग्रंथों के अनुसार सम्मदे शिखर और अयोध्या, इन दोनों का अस्तित्व सृष्टि के समानांतर है। विवाद यह है कि जैन समुदाय के इस पवित्र धार्मिक स्थल को झाड़खंड ने सरकार फरवरी 2019 में पर्यटन स्थल घोषित कर दिया। इसके साथ ही देवघर में बैजनाथ धाम और दुमका को बासुकीनाथ धाम को भी इस सूची में शामिल किया गया। उसी साल आरस्त में, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पारसनाथ पहाड़ी को पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया और कहा कि इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की जबरदस्त क्षमता है।

सरकार के इसी फैसले का विरोध हो रहा है। जैन समुदाय से जुड़े लोगों का कहना है कि ये आस्था का केंद्र है, कोई पर्यटन स्थल नहीं। इसे पर्यटन स्थल घोषित करने पर लोग यहां मांस-मदिरा का सेवन करेंगे। इसके चलते इस पवित्र धार्मिक स्थल की पवित्रता खंडित होगी, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा लोग शत्रुंजय पर्वत पर भगवान आदिनाथ की चरण पादुकाओं को खंडित करने को लेकर भी जबरदस्त गुस्से में हैं।

इसे लेकर पिछले दिनों जैन समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे बड़े नगरों में महारैली का भी आयोजन किया गया। झाड़खंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सम्मदे शिखरजी को लेकर नोटिफिकेशन विगत भाजपा सरकार के वक्त जारी हुआ था और हम इस मामले को अभी देखा है नहीं। सोरेन की पार्टी झामुमो ने कहा कि केंद्र सरकार ने सम्मदे शिखरजी को पर्यटन स्थल घोषित किया है, भाजपा अब लोगों को



रामगोपाल जाट

गुमराह कर रही है। भाजपा का कहना है कि जब झाड़खंड में भाजपा की सरकार थी, तब सम्मदे शिखरजी को तीर्थस्थल घोषित किया गया था। अब झामुमो सरकार इसे खंडित करने और जैन समुदाय के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। मामला केवल इतना ही नहीं है। असल बात यह है कि सम्मदे शिखरजी को लेकर झाड़खंड सरकार चाहती है कि इसे पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाये, ताकि राज्य में पर्यटन बढ़े, जिससे राज्य को मोटा राजस्व प्राप्त होगा। इस मामले में प्रमाण साबित नहीं हो पाया है कि सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन इस तरह की कोई भी कार्यवाही सरकार की तरफ से नहीं की गई, जो नोटिफिकेशन सरकार ने किया, इसकी कोई जानकारी जैन समाज को नहीं दी गई। किसी भी प्रदेश के और राष्ट्रीय अखबार में उसका कोई विज्ञापन नहीं निकाला, तो जैन समाज को इसका पता कैसे चला? सरकार ने किसी भी संचार माध्यम से इसकी जानकारी समाज को नहीं दी। सरकार का कहना है कि नोटिफिकेशन सरकार की वेबसाइट पर है। समाज का कहना है कि सरकार की वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित किया गया है।

किसी ने इस आंदोलन को खड़ा

जावेद 25 हजार किमी. की साइकिल यात्रा पर निकले

रतनगढ़, (निर्स)। रक्त की कमी को पूरा करने के लिए तरह तरह के प्रयास किये जा रहे हैं, जिसमें कोलकाता के जावेद पिछले दो माह से से पूरे भारत में साइकिल पर 25 हजार किलोमीटर की यात्रा का लक्ष्य लेकर निकले हैं। गत सारां रतनगढ़ पहुँचने पर दीपक डोडवाणीया ने अपने मित्रों के साथ उनका स्वागत करते हुए उनके विश्राम की व्यवस्था की।

गुरुवार को सुबह नगरपालिका परिषद में स्वागत करते हुए पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत व कांग्रेस

नेता हेमन्त सारस्वत आगे की यात्रा के लिए रावाना करते हुए मंगलकामनाएं कीं। इस मौके पर अधिशाषी अधिकारी अभय मीणा सहित दिपक डोडवाणीया, शंकरलाल सैनी, संतोष माटोलिया, आशुतोष हरितवाल, अमीत मुहाडरा, श्याम चोटिया, श्याम सैनी, प्रदिप रिणवा, युधिष्ठिर मंगलाहारा, भानु प्रकाश स्वामी, सुमित मुहाडरा आदि उपस्थित थे। वहीं ग्राम बिरमसर तक दीपक डोडवाणीया व संतोष माटोलिया भी शामिल हुए।

श्रीसम्मदे शिखरजी आस्था का केंद्र है, कोई पर्यटन स्थल नहीं: जैन समाज


नहीं किया है, लोग खुद आंदोलित हुए हैं, अपनी इच्छित भावना से लोग सड़क उतर रहे हैं। यहां भीड़ इकट्ठी नहीं की गई, यह भीड़ अपने आप एकत्रित हुई है। सम्मदे शिखरजी जैनों के लिए सर्व्वस्व है। यही वजह है कि हर जैन इसके लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए तत्पर है।

आंदोलन करने वालों को किसी राजनीति और राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं है, इनका लगाव सिर्फ तीर्थ क्षेत्र से है। तीर्थ क्षेत्र की रक्षा के लिए तीर्थ क्षेत्र की पवित्रता को बचाए रखने के लिए ही बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार का मुद्दा हो या राज्य सरकार की गलती हो, समाज को इससे कोई सरोकार नहीं है। जैन समाज को केवल अधिसूचना के उस प्रयोग से विरोध है, जिसमें इसे पर्यटन स्थल बताया गया है। केंद्र सरकार अपना दायित्व निभाए, राज्य सरकार अपना दायित्व निभाए।

इस मामले पर झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पाखंड का काम भाजपा ने किया और आज बदाम राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को किया जा रहा है। भाजपा की रघुवर दास सरकार में 22 अक्टूबर 2018 को पर्यटन विभाग ने सम्मदे शिखरजी की पवित्रता अधिष्ठा रखने का परिचर जारी किया था, फिर 26 फरवरी 2019 को राज्य सरकार के पर्यटन विभाग ने गजट प्रकाशित कर मधुघन को पर्यटन स्थल के रूप में चिह्नित किया।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

राशिफल शुक्रवार 6 जनवरी, 2023



पंडित अमिल शर्मा

पौष मास, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा, शुक्रवार, विक्रम संवत् 2079, आर्द्रा नक्षत्र रात्रि 12:14 तक, ब्रह्म योग प्रातः 8:10 तक, विधि करण दिन 3:26 तक, चन्द्रमा मिथुन राशि में संचार करेगा। ग्रह स्थिति: सूर्य-धनु, चन्द्रमा-मिथुन, मंगल-वृष, बुध-धनु, गुरु-मीन, शुक्र-मकर, शनि-मकर, राहु-मेघ, केतु-तुला राशि में। आज सर्वाथ सिद्धि योग रात्रि 12:24 से सूर्योदय तक है। भद्रा दिन 3:26 तक है। आज पौषी पूर्णिमा, सत्य पूर्णिमा व्रत है। आज शाकम्बरी देवी नवराजा समाप्त और शाकम्बरी प्राकृत्य महोत्सव उदयपुरवाटी और माघ स्नान आरम्भ होगा। सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:34 तक, लाभ-अमृत 8:34 से 11:14 तक, शुभ 12:32 से 3:50 तक, खि 4:26 से सूर्यास्त तक। राहुकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:21, सूर्यास्त 5:44

मेघ परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण कार्यों में परिश्रम से पर्याप्त सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए तैयार अच्छा रहेगा।

वृष आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित खोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा।

मिथुन व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क व्यक्तित्व परेशानियों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। अर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि देखी सकती है।

सिंह आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। अट